कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, भीलवाडा

:: प्रेस नोट ::

शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा – 2022
काउन्सलिंग दिनांक 08 सितम्बर 2023 से 09 सितम्बर 2023

श्रीमान् निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान–बीकानेर के पत्रांक – शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–I/12102(203)/सी.भ./पीटीआई/2021–22 दिनांक 02.09.2023 के अनुसार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा – 2022 में चयनित शारीरिक शिक्षा अध्यापक की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों का परामर्श कैम्प (काउंसलिंग) का **आयोजन स्थानीय कार्यालय प्रांगण में दिनांक 08.09.2023 से दिनांक 09.09.2023 तक निम्नानुसार रखा गया हैं :–**

काउंसलिंग स्थान पता – कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, प्रतापनगर स्कूल के पास, पुर रोड, भीलवाडा

क.सं.	काउंसलिंग दिनांक	काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थी वरियता कमांक	पंजीयन/रजिस्ट्रेशन समय	काउंसलिंग समय
1	**08.09.2023 शुक्रवार**	01 से 50 तक	प्रातः 10.00 बजे से 11.00 बजे तक	प्रातः 11.00 बजे से
		51 से 100 तक	दोपहर 01.00 बजे से 02.00 बजे तक	दोपहर 02.00 बजे से
2	**09.09.2023 शनिवार**	101 से 160 तक	प्रातः 10.00 बजे से 11.00 बजे तक	प्रातः 11.00 बजे से
		161 से 226 तक	दोपहर 01.00 बजे से 02.00 बजे तक	दोपहर 02.00 बजे से

संबंधित वरियता कमांक अभियर्थी को काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन समय पर उपस्थिति नहीं होने पर अनुपस्थिति मानते हुए काउंसलिंग प्रारम्भ कर दी जावेगी । बाद में उपस्थिति होने पर अन्तिम अभियर्थी के रूप में उसे शामिल किया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभियर्थी स्वयं की रहेगी ।

काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के मिलान हेतु आवेदन पत्र में लगाये गये **मूल समस्त दस्तावेज,** स्वयं का (1) पासपोर्ट साईज फोटो एवं फोटो युक्त पहचान पत्र तथा काउंसलिंग में दी गई वरियता के संबंध में मूल शपथ पत्र/प्रमाण पत्र (40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, असाध्य रोग (ब्रेन ट्युमर, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट सर्जरी), विधवा एवं परित्यक्ता महिला द्वारा शपथ पत्र, शहीद सैनिकों के आश्रित प्रमाण पत्र, एकल महिला शपथ पत्र, महिला अभ्यर्थी, भूतपूर्व सैनिक, पति–पत्नी राज्य सेवा में एक ही जिले में पदस्थापित) से संबंधित मूल दस्तावेज एवं प्रति लेकर आवें ।

कार्यालय द्वारा जारी की गई काउंसलिंग अस्थाई वरियता सूची के संबंध में किसी भी तरह की आपत्ति अथवा वरियता का लाभ लेने से वंचित अभ्यथी संबंधित वरियता का लाभ लेने हेतु मूल दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र स्थानीय कार्यालय में दिनांक 06.09.2023 को सांयः 5.00 बजे तक प्रस्तुत कर देवें । उक्त प्रकिया पश्चात स्थायी वरियता सूची जारी कर काउंसलिंग के समय किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी ।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता व अन्य आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र के संबंध में **काउंसलिंग से पूर्व रू. 50/– के नॉन ज्युडीशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र काउंसलिंग से पूर्व प्रस्तुत करेंगे कि यदि इनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता व अन्य आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र वैध व मान्य नहीं पाये गये तो उनका चयन निरस्त करने एवं उनके विरूद्व कानुनी कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा ।**

निरन्तर.........2 ....

काउंसलिंग हेतु पात्र अभ्यर्थियों की वरियता सूची व रिक्त पदों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गयी हैं । साथ ही शिक्षा विभागीय साईट पर उपलब्ध हैं ।

अभ्यर्थी द्वारा उक्त समस्त **मूल दस्तावेजो के साथ एक प्रमाणित छायाप्रति सेट भी काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करें ।** अनुपस्थित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग उपरान्त कार्यालय द्वारा शेष रहे रिक्त पदों मे से पदस्थापन आदेश जारी कर दिये जायेंगे ।

नोट :– काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी के अतिरिक्त अन्य का प्रवेश वर्जित होगा ।

(डॉ. महावीर कुमार शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, भीलवाडा

कमांक :– जिशिअभी / मुमाशि / पीटीआई / संस्था–2 / 2023 / 492 दिनांक 05.09.2023

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–</u>

1. निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान–बीकानेर ।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर ।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भीलवाडा ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक / प्रारम्भिक जिला भीलवाडा / शाहपुरा / ब्यावर ।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी .... भीलवाड़ा ।
6. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, भीलवाडा ।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, भीलवाडा